

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4158

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है

खदान जल का उपचार

4158. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूजल संसाधनों को नष्ट किए बिना सिंचाई के लिए खदान जल के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) अन्य राज्यों में पीने के प्रयोजनों के लिए उपचारित खदान जल के उपयोग को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं,

(ग) सभी कोयला और लिग्नाइट पीएसयू में खदान जल उपचार के लिए अवसंरचना में अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या कितनी है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जल प्रबंधन के लिए एनसीएल की योजना का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कार्य पूरे हुए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) तथा (ख) : कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात कोल इंडिया लि (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) सिंचाई उपयोग के लिए खान जल का संधारणीय

उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कार्यान्वित कर रहे हैं। खान के अतिरिक्त पानी का उपयोग सिंचाई और घरेलू उपयोग सहित औद्योगिक और सामुदायिक उपयोग के लिए लाभप्रद रूप से किया जाता है, जिससे ऐसे उद्देश्यों के लिए भूमिगत निष्कर्षण की आवश्यकता कम हो जाती है। प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित निगरानी और गुणवत्ता जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह जल सिंचाई और घरेलू उपयोग के अपेक्षित मानकों को पूरा करता है। भूमिगत जल संतुलन बनाए रखने के लिए खान के जल उपयोग के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और भूमिगत जल पुनर्भरण उपायों को कार्यान्वित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान, कोयला और लिग्नाइट पीएसयू ने संबंधित राज्यों में कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास के स्थानीय समुदायों को घरेलू और सिंचाई उपयोग के लिए लगभग 3963 लाख किलो लीटर (एलकेएल) शोधित खान जल की आपूर्ति की है।

(ग) : कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में कोयला और लिग्नाइट पीएसयू द्वारा नियमित आधार पर खान जल शोधन के लिए अवसंरचना पर निवेश किया गया है। पर्यावरण स्वीकृति, कोयला और लिग्नाइट खनन परियोजनाओं की स्थापना की सहमति और प्रचालन की सहमति में उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों के अनुसार खान जल शोधन अवसंरचना खनन प्रचालनों का एक अभिन्न अंग है और इसमें औद्योगिक डिस्चार्ज के शोधन के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्र, जल फिल्टर संयंत्र ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शोधित खान जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करें, सस्पेंडिड कणों के फिल्ट्रेशन और सेटलिंग के लिए अवसादन टैंक, दक्षता तथा क्षमता में वृद्धि करने के लिए मौजूदा जल शोधन अवसंरचना का रख-रखाव और उन्नयन आदि शामिल हैं।

(घ) : भानेगांव ओपन कास्ट खान से कापाखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन तक शोधित खान जल की आपूर्ति करने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (महाजेनको) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया है। इसके कारण, सिंचाई विभाग का पानी, जो पहले थर्मल पावर स्टेशन की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करता था, अब घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है।

(ड.) : नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने जल संसाधनों के कुशल उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी खानों में एक व्यापक जल प्रबंधन योजना कार्यान्वित की है। खान के भीतर खान रिसाव को विशेषीकृत खान संप में एकत्र किया जाता है और सतह पर पंप किया जाता है, जहां इसका बहिस्राव शोधन संयंत्रों (ईटीपी) में शोधन किया जाता है। शोधित जल का औद्योगिक उद्देश्यों जैसे हॉल सड़कों और कोयला हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) पर धूल नियंत्रण, अग्निशमन, ग्रीन बेल्ट विकास, हैवी अर्थ मूविंग उपकरण (एचईएमएम) की धुलाई और व्हील वाशिंग के लिए खान परिसर के भीतर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। चक्रवात के जल के प्रबंधन के लिए, जल संग्रहण को सुगम बनाने के

लिए संबंधित खानों में गारलैंड ड्रेन्स और आवाह क्षेत्र नालों का निर्माण किया गया है जबकि सस्पेंडिड कणों को हटाने के लिए अवसादन तालाबों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गाद और अपरदन को रोकने के लिए ओवरबर्डन डंप के आधार तल पर रिटेनिंग वॉल और गेबियन वॉल उपलब्ध कराए गए हैं। संधारणीय जल प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, एनसीएल ने प्रभावी खान जल शोधन और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनी खानों में कुल 12 बहिःस्राव शोधन संयंत्रों का निर्माण किया है।
